

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-3066

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

हाइटेशन विद्युत खंभों/तारों की मजबूती

**3066. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात राज्य सरकार के समन्वय से हाइटेशन विद्युत खंभों/तारों की मजबूती की नियमित जांच करने के लिए आज की तारीख तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है क्योंकि आज की तारीख तक अन्य राज्यों में हाइटेशन विद्युत खंभों/तारों के गिरने की कुछ घटनाएं हुई हैं?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)**

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, विद्युत वितरण एक लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और आपूर्ति के क्षेत्र में एक कुशल, सुरक्षित और किफायती वितरण प्रणाली विकसित करना और इसे बनाए रखना संबंधित वितरण लाइसेंसधारक का दायित्व है। अतः, यह वितरण यूटिलिटीयों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने प्रचालन क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए एचटी/एलटी लाइनों के खंभों/तारों की मजबूती की जांच सहित वितरण प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक उपाय करें। इसके अतिरिक्त, नियमित गश्त के दौरान, यूटिलिटी कर्मचारियों द्वारा फॉल्ट ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन हाई टेंशन लाइनों और अतिरिक्त हाई टेंशन लाइनों और कंडक्टरों की जांच की जा रही है, जिनमें टावरों/खंभों के हिस्सों जैसे कि क्रॉस आर्म्स, इंसुलेटर, हार्ड-वेयर और कंडक्टर, जंपर्स की सुदृढ़ता के लिए नियमित अंतराल पर उनकी जांच की जाती है। साथ ही, नींव, स्टब, टावरों के अंगों/एच-फ्रेम संरचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और यह सुधार सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, जबकि स्टब को मजबूत करने के लिए खराब संरचनाओं को वार्षिक आधार पर आर एंड एम योजना के अंतर्गत बदल दिया जाता है।

सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023, पावर स्टेशनों, उप-स्टेशनों, पारेषण और वितरण लाइनों के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करता है। यह विद्युत प्रतिष्ठानों, ओवरहेड लाइनों और अन्य के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है। ये विनियम विद्युत स्थापनाओं पर लागू होते हैं, जो विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनें और व्यक्ति या संस्थाएं विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति या विद्युत खपत जैसी गतिविधियों में शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सीईए (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 में आपदा संभावित क्षेत्रों/तटीय क्षेत्रों में खंभों/तारों को मजबूत करने के प्रावधान हैं:

- (i) तटीय क्षेत्रों में, अधिक मजबूत पोल जैसे रेल पोल या स्पन पोल या भूमिगत केबल का उपयोग किया जाएगा।
- (ii) जंग को रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में खुले कंडक्टरों पर उपयुक्त इंसुलेटिंग पेंट का अधिमानतः प्रयोग किया जाएगा।

सीईए ने मई, 2021 में "तटीय क्षेत्र में साइक्लोन रेजिलिएंट रोबस्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन (टीएंडडी) इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी टास्क फोर्स की रिपोर्ट" भी तैयार की, जिसे जून, 2021 में विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को चक्रवातों से निपटने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए रिपोर्ट में सुझाए गए उपाय करने के लिए प्रचलित की गई थी।

\*\*\*\*\*